न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 32/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/44

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री चन्द्रेश जैन पुत्र श्री महिपाल जैन निवासी 6 ए बाहुबली कोलोनी, बांसवाडा 327001 (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– चन्द्रेश किराणा स्टोर मदारेश्वर रोड बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज) फोन नं. 9413850235
2. **Ankit Badaya** (नोमिनी) मैसर्स– **Lakda Daal & Besan Utpadan Kendra, Road No 1 68 A, Road No 1 VKIA, Sikar Road Jaipur 302013 Mob No 9829060241**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 22–04–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेदमल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **11–03–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **13–04–2023** को 4.20 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स चन्द्रेश किराणा स्टोर, मदारेश्वर रोड, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री चन्द्रेश जैन पुत्र श्री महिपाल जैन** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स चन्द्रेश किराणा स्टोर, मदारेश्वर रोड, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली) प्रत्येक 500 ग्राम पैकिंग के 14 पैकेट कुल 7 कि.ग्रा विक्रय हेतु रखे थे।** उक्त खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली)** गुणवत्ता की कमी/मिलावट/मिसब्राण्ड [illegible] संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए [illegible] **बेसन (अरावली) 500 ग्राम के 4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 180/– रु. वि[illegible]को

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली) 500 ग्राम के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1375** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/289 दिनांक 15–05–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 446 दिनांक 25–04–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1375** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। **श्री चन्द्रेश जैन पुत्र श्री महिपाल जैन** के द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नही की गई है।

फर्म के मालिक **श्री चन्द्रेश जैन पुत्र श्री महिपाल जैन निवासी 6 ए बाहुबली कोलोनी, बांसवाडा 327001 (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– चन्द्रेश किराणा स्टोर मदारेश्वर रोड बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज)** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरी[illegible]ना के लिये पत्र लिखा , विक्रेता ने **मैसर्स लकडा दाल एण्ड बेसन उत्पाद[illegible]** [illegible] बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली)** का विक्रय कर ख[illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–03–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 22–04–2025 को अप्रार्थी सं. 1 एवं अप्रार्थी सं. 2 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर कम जुर्माना किये जाने व उक्त कार्यवाही को समाप्त करने निवेदन किया। विभागीय पैरोकार को सुना गया। विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1375** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2023/289 दिनांक 15–05–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 446 दिनांक 25–04–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1375** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **बेसन (अरावली)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर आरोपी सं. 1 श्री .... जैन पुत्र श्री महिपाल जैन निवासी 6 ए बाहुबली कोलोनी, बांसवाडा 327001 (विक्रेता/मालिक) फर्म– चन्द्रेश किराणा स्टोर मदारेश्वर रोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज) को रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र), श्री अंकित बडाया (नोमिनी) मैसर्स लकडा दाल एण्ड बेसन उत्पादन केन्द्र, सीकर रोड, जयपुर को रुपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 22–04–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner